ई-मेल

म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड,
26, अरेरा हिल्स किसान भवन, भोपाल

क्रमांक/विभा.जांच/2016-902/2623 भोपाल, दिनांक 12/12/2023

परिपत्र

राज्य मंडी बोर्ड सेवा के अधिकारी/कर्मचारियों को समय-समय पर अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रचलन के दौरान निलंबित किये जाने की स्थिति निर्मित होती है साथ ही बोर्ड सेवा के सेवक को भ्रष्टाचार एवं अन्य नैतिक पतन में अन्तर्वलित दाण्डिक अपराध में अभियोजन की स्वीकृति के उपरांत चालान प्रस्तुति की दशा में सदैव निलंबित किये जाने के उपबंध है। इसी प्रकार किसी दाण्डिक आरोप पर या अन्यथा 48 घण्टे से अधिक कालावधि के लिये अभिरक्षा में निरूद्ध किये जाने पर भी निलंबित किये जाने का उपबंध है।

सामान्य प्रक्रिया के अधीन निलंबित बोर्ड सेवा के अधिकारी/कर्मचारियों को निलंबन उपरांत 90 दिवस के अन्दर आरोप पत्र आदि जारी कर उनके विरूद्ध विभागीय जांच संस्थित कर जांच की कार्यवाही सुनिश्चित की जाती है। यह दृष्टिगत हुआ है कि कतिपय मामलों में अपचारी के विरूद्ध जारी किये गये आरोप पत्र मूलतः दाण्डिक/आपराधिक न्यायालय में प्रचलित प्रकरण के ही समानांतर होते है तथा ऐसी स्थिति में विभागीय जांच की कार्यवाही को सामान्य तौर पर पूरी नहीं करते हुए विभागीय जांच अधिकारी संपूर्ण प्रक्रिया पूर्ण कर लिये जाने के उपरांत माननीय न्यायालय के निर्णय के अधीन करते हुए जांच का निष्कर्ष अंकित करते है जिससे प्रकरण में विभागीय जांच का कोई औचित्य शेष नहीं रह जाता है क्योंकि ऐसे प्रकरणों में अपचारी के विरूद्ध दण्डादेश भी स्वाभाविक तौर पर माननीय दाण्डिक/आपराधिक न्यायालय द्वारा विचारोपरांत अपचारी के विरूद्ध पारित अंतिम आदेश पर ही निर्भर करती है।

उपरोक्त तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए अब ऐसे प्रकरण जहां मंडी बोर्ड सेवा के किसी अधिकारी/कर्मचारी को भ्रष्टाचार या अन्य नैतिक पतन में अन्तर्वलित दाण्डिक अपराध में अभियोजन की स्वीकृति के आधार पर अथवा 48 घण्टे की कालावधि के लिये निरूद्ध किये जाने के आधार पर निलंबित किया गया है वहां आरोप पत्र आदि जारी कर उनके विरूद्ध विभागीय जांच संस्थित किये जाने की आवश्यकता नहीं हैं। ऐसे बोर्ड सेवा के सेवक निर्धारित समय सीमा में आरोप पत्र आदि जारी नहीं किये जाने की दशा में स्वमेव बहाल नहीं समझे जाऐंगे। उन्ही प्रकरणों में विधिवत विभागीय जांच संस्थित की जा सकेगी जिस मामले में समानांतर रूप से माननीय दाण्डिक/आपराधिक न्यायालय द्वारा प्रत्यक्ष रूप से विचार नहीं किया जा रहा हो।

—02—

दाण्डिक/आपराधिक न्यायालय में प्रचलित प्रकरणों में एक वर्ष से अधिक समय तक निलंबित सेवकों के संबंध में समीक्षा हेतु निम्नानुसार समिति का गठन किया जाता है-

1. अपर संचालक (कार्मिक)
2. अपर संचालक (वित्त)
3. उप संचालक (कार्मिक)
4. सहायक संचालक (विधि)
5.

समिति ऐसे निलंबित शासकीय सेवक जिनके विरूद्ध विभागीय जांच प्रचलित नहीं है तथा जिन्हें निलंबित हुए एक वर्ष से अधिक का समय व्यतीत हो चुका है, की समीक्षा करेगी तथा समीक्षा उपरांत निलंबन से बहाली अथवा निलंबन निरंतर रखे जाने के संबंध में अपनी अनुशंसा से प्रबंध संचालक को अवगत कराएगी। आपराधिक/दाण्डिक मामलो में निलंबित बोर्ड सेवा के अधिकारी/कर्मचारियों को बहाल किये जाने की अधिकारिता प्रबंध संचालक को रहेगी तथा समिति यदि यह पाती है कि आपराधिक मामलों में चालान प्रस्तुति के पश्चात् न्यायालय में विलंब हो रहा है तथा ऐसा विलंब आरोपी के कारण नहीं है तो उपरोक्त समिति की अनुशंसा के आधार पर प्रबंध संचालक द्वारा गुण-दोषों के आधार पर निलंबित बोर्ड सेवा के अधिकारी/ कर्मचारियों को बहाल करने का निर्णय लिया जा सकेगा।

11/12/23

(श्रीमन् शुक्ला)
प्रबंध संचालक सह आयुक्त,
म.प्र.राज्य कृषि विपणन बोर्ड,
भोपाल

ई-मेल

क्रमांक/विभा.जांच/2016-902/2624 भोपाल, दिनांक 12/12/2023

प्रतिलिपि :- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1. निज सहायक, प्रबंध संचालक, म.प्र.राज्य कृषि विपणन बोर्ड, भोपाल।
2. अपर संचालक/अधीक्षण यंत्री/संयुक्त/उप संचालक/चीफ प्रोग्रामर/सहायक यंत्री/सहायक संचालक (समस्त) म.प्र.राज्य कृषि विपणन बोर्ड, मुख्यालय भोपाल।
3. संयुक्त संचालक/उप संचालक म.प्र.राज्य कृषि विपणन बोर्ड (समस्त) ऑचलिक कार्यालयों एवं कार्यपालन यंत्री (समस्त) तकनीकी कार्यालयों की ओर भेजकर निर्देशित किया जाता है कि वे अपने अधीनस्थ उपरोक्त निर्देश का पालन कराना सुनिश्चित करें।
4. भारसाधक अधिकारी/सचिव, कृषि उपज मंडी समिति, (समस्त)
5. अनुभाग अधिकारी/पटल प्रभारी (समस्त) ,कार्यालयीन .....शाखा, म.प्र.राज्य कृषि विपणन बोर्ड, मुंख्यालय भोपाल।
6. आदेश नस्ती।

प्रबंध संचालक सह आयुक्त,
म.प्र.राज्य कृषि विपणन बोर्ड,
भोपाल